न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 54/2014 दायरा दिनांक : 07.02.2014

उनवान

गौरीलाल आत्मज देव्या जाति लोढा निवासी दौलतपुरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राज0

.... अपीलांट

बनाम

1 घींसीबाई पुत्री राधेश्याम जाति लोढा निवासीयान दौलतपुरा

2 बन्शीलाल आत्मज गोपीलाल जाति लोढा निवासीयान दौलतपुरा

3 जगन्नाथ आत्मज गोपीलाल जाति लोढा निवासीयान दौलतपुरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान

4 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ राज0

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 55/2014 दायरा दिनांक : 07.02.2014

उनवान

गौरीलाल आत्मज देव्या जाति लोढा निवासी दौलतपुरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राज0

बनाम

1 घींसीबाई पुत्री राधेश्याम जाति लोढा निवासीयान दौलतपुरा

2 बन्शीलाल आत्मज गोपीलाल जाति लोढा निवासीयान दौलतपुरा

3 जगन्नाथ आत्मज गोपीलाल जाति लोढा निवासीयान दौलतपुरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान

4 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ राज0

उपस्थित – श्री श्याम सुन्दर शर्मा ।। अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री वीरेन्द्र सोनगरा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 08.12.2020

महेन्द्र लोढ़ा
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

यह अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या 123/2007 निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 19.07.2008 तथा निर्णय एवं फाइनल डिकी दिनांक 15–05–2009 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील संख्या 54/2014 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिकी दिनांक 19.07.08 जिसके द्वारा वाद वादीनी प्राथमिक डिकी किये जाने ग्राम दौलतपुरा तहसील मनोहरथाना की खाता सं 06 की कुल 23 किता की 36 बीघा 14 बिस्वा में से वादीनी घींसीबाई पुत्री राधेश्याम को 1/3 भाग का तथा प्रतिवादीगण कम 1 गोरीलाल को 1/3 भाग का तथा प्रतिवादीगण कमांक 2 व 3 को 1/3 भाग आराजी का खातेदार टीनेन्ट घोषित किये जाने राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किये जाने कब्जा आराजी वादीनी को प्रथम से संभला दिये जाने का आदेश दिया है जो पूरी तरह से विधि विधान एवं नियमो के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली एवं रेकार्ड का भलीभांति अवलोकन व परिशीलन किये बगेर निर्णय एवं प्राथमिक डिकी जैर अपील पारित करने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई है उसे जवाबदावा प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर ही नहीं दिया है। वादीनी रेस्पोडेण्ट नम्बर 1 द्वारा प्रस्तुत रेकार्डस की सत्यता की जांच ही नहीं की गयी। वादीनी पी0डब्ल्यू0–। घींसीबाई एवं उसके द्वारा प्रस्तुत अन्य गवाहान जगन्नाथ पी0डब्ल्यू0–2 किशोर पी0डब्ल्यू0–3 प्रेमसिंह पी0डब्ल्यू0–4 से अपीलांट को जिरह का अवसर ही नही दिया गया है। वादीनी घींसीबाई राधेश्याम के हिस्से की हकदार है उसका वादग्रस्त आराजी में कोई हक व हिस्सा नही है अपितु अपीलांट 2/3 हिस्से का सह–खातेदार व सहभागीदार है मगर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को प्रतिरक्षा का व साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया है इसलिये निर्णय एवं प्राथमिक डिकी जेर अपील पूरी तरह से विधि विरूद्ध है एवं निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय निर्णय एवं प्राथमिक डिकी जेर अपील पारित करने के बाद नियमानुसार अपीलांट को किसी प्रकार की सूचना ही नहीं दी, इससे अपीलांट के हित हिस्से व अधिकार पर विपरीत प्रभाव पड रहा है।

अपील संख्या 55/2014 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित फाइनल डिकी दिनांक 15–05–2009 के द्वारा ग्राम दौलतपुरा तहसील मनोहरथाना की खाता संख्या 6 की कुल 36 बीघा 14 बीघा आराजी में से वादिनी रेस्पो0 कम–1 का 1/3 भाग, खसरा नं. 69 में से 7 बिस्वा संपूर्ण, खसरा नं. 86 में से 11 बिस्वा पूर्व दिशा, खसरा नं. 97 में से 11 बिस्वा उत्तर दिशा, खसरा नं. 99 मे से 1 बीघा, 11 बिस्वा उत्तर, खसरा नं. 152 की 8 बिस्वा,

खसरा नं. 153 की 3 बीघा 1 बिस्वा खसरा नं. 154 की 7 बिस्वा, खसरा नं.161 की 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं. 178/37 की 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 181/126 की 9बिस्वा, खसरा नं. 182/160 की 3 बिस्वा, कुल 11 किता की 12 बीघा 5 बिस्वा वादिनी रेस्पोडेंट कम 1 के खाते में दर्ज करने के आदेश दिये है जो विधि नियमों एवं प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने फाइनल डिक्री जैर अपील पारित करने से पूर्व तहसीलदार मनोहरथाना से मंगवाये कथित प्रस्ताव बंटवारें पर किसी तरह की आपत्तियों पर सुनवाई नहीं की और ना ही अपीलांट को सूचना दी। अपितु तहसीलदार द्वारा भिजवाये गये अधूरे, अपूर्ण विभाजन पत्र के अनुसार फाइनल डिक्री पारित कर दी जो निरस्त होने योग्य है। तहसीलदार मनोहरथाना ने अधीनस्थ न्यायालय की प्राथमिक डिक्री दिनांक 19–07–2008 की पालना नहीं की है। राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की भी पालना नहीं की। सभी खातेदारान को ना तो मौके पर बुलाया और ना ही उन्होने मौके पर कोई बंटवारा प्रस्ताव बनाया। पटवारी हल्का द्वारा केवल वादिनी/रेस्पो. कम 1 के 1/3 हिस्से के बारे में ही बंटवारा प्रस्ताव बनाया गया अन्य का नहीं। इसी तरह से सभी खातेदारान के अनुसार नक्शे भी नहीं बनाये गये। इस प्रकार बंटवारा प्रस्ताव पूरी तरह त्रुटिपूर्ण है एवं उसके आधार पर पारित की गई फाइनल डिक्री विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है।

दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 28.01.2014 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अभिभाषक अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया।

अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही मानते हुए अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

दोनों अपीलें प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 व 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है। प्रतिवादी नं. 1 की ओर से अभिभाषक श्री केसरी सिंह पुष्पद ने वकालतनामा पेश करना बताया। दिनांक 21–06–2008 को प्रतिवादी अभिभाषक प्रकरण में आगामी

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

कार्यवाही नहीं करना चाहते है तथा प्रतिवादी को भी बार–बार आवाज दिलवाये जाने पर भी अनुपस्थित पाये जाने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है। अतः अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि 'हमे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया' जो उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिपूर्वक निर्णय पारित किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीलें खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.07.2008 तथा 15.05.2009 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिकरी व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

अपील संख्या 54 / 2014

1 गौरीलाल आत्मज देव्या जाति लोढा निवासी दौलतपुरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राज0 ..... **अपीलांट**

बनाम

1 घींसीबाई पुत्री राधेश्याम जाति लोढा निवासीयान दौलतपुरा
2 बन्शीलाल आत्मज गोपीलाल जाति लोढा निवासीयान दौलतपुरा
3 जगन्नाथ आत्मज गोपीलाल जाति लोढा निवासीयान दौलतपुरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान
4 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ राज0 .... **रेस्पोडेंट**

अपील संख्या 55 / 2014

1– गौरीलाल आत्मज देव्या जाति लोढा निवासी दौलतपुरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राज0 ..... **अपीलांट**

1 घींसीबाई पुत्री राधेश्याम जाति लोढा निवासीयान दौलतपुरा
2 बन्शीलाल आत्मज गोपीलाल जाति लोढा निवासीयान दौलतपुरा
3 जगन्नाथ आत्मज गोपीलाल जाति लोढा निवासीयान दौलतपुरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान
4 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ राज0 .... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. 54 / 2014 व 55 / 2014
मु.द.नं 123 / 2007

एवं नाराजगी डिकी अदालत –**उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना**
प्राथमिक डिकी दिनांक **19.07.2008** एवं
फाईनल डिक्री दिनांक **15.05.2009**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 20 माह 11 सन् 2020

हाजरी **श्री श्यामसुन्दर शर्मा** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **श्री वीरेन्द्र सोनगरा** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

दोनों अपीले अपील संख्या 54 / 2014 एवं 55 / 2014 अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 19.07.2008 तथा 15.05.2009 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **08** माह **12** सन् **2020** को जारी किया गया ।

मोहर

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा राज.